डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 47/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010 एमवाईटीपी/टीवीएम(टीआईएएल)/सीएच/सीपी-III/2021-26

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 47/ 2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली - 110003

जारी करने की तारीख: 17 मार्च, 2021

सेवा	:	**कार्गो हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	:	**टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल)**
हवाईअड्डा	:	**तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम**
हवाईअड्डा प्रचालक	:	**टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल)**

टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल) द्वारा तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम में 01.04.2022 से 30.09.2022 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

टीआईएएल की प्रस्तुति :

1. टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल) ने दिनांक 14 फरवरी, 2022 के अपने पत्र संख्या टीआईएएल/सीओ/ऐरा-आईटी/2022/01 द्वारा प्राधिकरण से यह अनुरोध किया है कि प्राधिकरण तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 01.04.2022 से शुरू किए जाने के लिए निर्धारित उनकी प्रस्तावित अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तदर्थ कार्गो टैरिफ वसूल करने की अनुमति दें।

टीआईएएल ने आगे कहा है कि :

(i) उन्होंने तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम के प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास के लिए 19.01.2019 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ii) उन्होंने तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के हवाईअड्डा प्रचालक का उत्तरदायित्व ले लिया है और वाणिज्यिक प्रचालन 14.10.2021 (सीओडी) से प्रारंभ कर दिए गए हैं। रियायत करार के खंड 19.4 के अनुसार टीआईएएल की ओर से हवाईअड्डे पर कार्गो सुविधाएं उपलब्ध करना अपेक्षित है। उपर्युक्त के अनुसरण में टीआईएएल नीचे उल्लिखित समय-सारणी के अनुसार अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों खंडों पर कार्गो सेवाएं शुरू कर रही है:

विवरण	अंतरदेशीय	अंतरराष्ट्रीय (निर्यात)	अंतरराष्ट्रीय (आयात)
कार्गो प्रचालन	01.04.2022	01.04.2022	01.10.22

(iii) वे पांच (5) वर्ष (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) की नियंत्रण अवधि के लिए अपने एमवाईटीपी का मसौदा तैयार कर रहे हैं और इसे यथासमय प्राधिरकरण को प्रस्तुत कर देंगे। अंतरिम व्यवस्था के तौर पर टीआईएएल ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह टीआईएएल को तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 01.04.2022 से उनकी प्रस्तावित अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्राधिकरण द्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ अनुमोदित किए जाने तक वर्तमान कार्गो रियायतग्राही अर्थात मैसर्स एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस), के लिए लागू अनुमोदित टैरिफ (01.04.2022 को) तदर्थ आधार पर वसूल करने की अनुमति दे।

टीआईएएल के अनुरोध के संबंध में प्राधिकरण की जांच:

2 टीआईएएल के अनुरोध की प्रारंभिक छानबीन करने पर प्राधिकरण नोट करता है कि एएआई के साथ किए गए रियायत करार के खंड 19.4 के अनुसार तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। टीआईएएल ने उपर्युक्त पैरा 1 (i) में दी गई समय-सारणी के अनुसार कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। प्राधिकरण ने तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रस्तावित कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के विवरण और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) और सीमा-शुल्क विभाग से विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की स्थिति के बारे में पूछताछ की। इसके जवाब में टीआईएएल ने दिनांक 28 फरवरी, 2022 की अपनी ई-मेल द्वारा सूचित किया है कि :

(i) वे तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर वर्तमान में एएआईसीएलएएस द्वारा प्रदान की जाने वाली समान प्रकार की सभी कार्गो सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं ;

(ii) टीआईएएल द्वारा कार्गो सुविधा हवाईअड्डा प्रचालक के रूप में प्रचालित की जाएगी और उन्होंने विनियामक प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए हैं परंतु इस सुविधा के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था के लिए टीआईएएल को बीसीएएस से विनियमित एजेंट (आरए) प्रमाणन प्राप्त करना होगा और उन्होंने बीसीएएस से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है; और

(iii) वे अंतरराष्ट्रीय कार्गो प्रचालन के लिए "संरक्षक" के लिए सीमा-शुल्क विभाग में आवेदन कर रहे हैं।

3. प्राधिकरण ने प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 01.10.2020 से प्रभावी और 31.03.2024 तक वैध दिनांक 01.09.2020 के आदेश संख्या 42/2020-21 द्वारा एएआईसीएलएएस के पक्ष में तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा , तिरूवनंतपुरम के संबंध में कार्गो हैंडलिंग प्रभार निर्धारित कर दिए हैं।

4. प्राधिकरण महसूस करता है कि टीआईएएल द्वारा तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में प्राधिकरण को अपना एमवाईटीपी प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा।

5. अंतरिम व्यवस्था के रूप में, प्राधिकरण ने टीआईएएल को तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर वर्तमान में अनुमोदित (01.04.2022 को) और अन्य कार्गो हैंडलिंग सेवा प्रदाता अर्थात एएआईसीएलएएस के लिए लागू टैरिफ के आधार पर 01.04.2022 से 30.09.2022 तक, या प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, उनकी प्रस्तावित अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय (निर्यात) कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ वसूल करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

6. चूंकि टीआईएएल द्वारा अंतरराष्ट्रीय (आयात) कार्गो सेवाएं 01.10.2022 से शुरू करना नियत किया गया है इसलिए इन सेवाओं के लिए टैरिफ इस अंतरिम आदेश में शामिल नहीं की गई है।

7. टीआईएएल को सलाह दी जाती है कि वे प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो सेवाओ के संबंध में नियमित टैरिफ निर्धारित करने के लिए ऐरा (हवाईअड्डा प्रचालकों के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार एमवाईटीपी समय पर रहते प्रस्तुत कर दें।

8. टीआईएएल एक बार उपर्युक्त पैरा 2 के **(ii**)और **(iii)** में उल्लिखित अनुमोदन सहित सभी अपेक्षित विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्रचालन प्रारंभ करेगी।

आदेश

रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल) को कार्गो सेवाओं [अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय (निर्यात)] के लिए संलग्नक-I के अनुसार 01.04.2022 से 30.09.2022 तक या प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, प्राधिकरण के दिनांक 01.09.2020 के आदेश संख्या 42/2020-21 द्वारा एएआईसीएलएएस नामक अन्य कार्गो सेवा प्रदाता के लिए यथानुमोदित (01.04.2022 को) टैरिफ वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है। परंतु यह आदेश तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रस्तावित कार्गो सेवाएं प्रारंभ करने से पहले निम्नलिखित विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त पर ही प्रभावी होगा:

(क) बीसीएएस से टीआईएएल का विनियामक एजेंट प्रमाण प्राप्त करने पर; और

(ख) सीमा-शुल्क विभाग द्वारा टीआईएएल को अंतरराष्ट्रीय कार्गो प्रचालन के लिए संरक्षक स्वीकार करने पर।

(ii) ऊपर बताए अनुसार निर्धारित टैरिफ कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iii) हवाईअड्डा प्रचालक ऐरा दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में एमवाईटीपी समय रहते प्रस्तुत करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें

श्री आशु मदान,
टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक,
अंतरदेशीय टर्मिनल के पास,
तिरूवनंतपुरम 695008

प्रतिलिपि:

i. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003.